प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 82/23 दिनांक 20/4/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, 14 पी.सी. एक्ट 1988(संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –186
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 368 समय 8:00 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 17.04.2023 समय 11:15 एएम एवं दिनांक 18.04.2023 समय 02:30 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.04.2023 समय 3:00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक : – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 450 किलोमीटर
(2) पता – कृषि मण्डी रोड़, खण्डेवाल मशीनरी दूकान के पास वाली गली प्रतापगढ
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : – गिरिजा शंकर शर्मा
(2) पिता का नाम : –गणेश राम जी
(3) आयु : – उम्र 62 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : – सेवानिवृत व्याख्याता (हिन्दी)
(7) पता : निवासी एरियापति कॉलोनी हनुमान मंदीर के पास प्रतापगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. भागीरथराम गोदारा पिता श्री धनाराम जी गोदारा उम्र 47 साल निवासी गांव धनकोली पुलिस थाना मोलासर तहसील डीडवाना, जिला नागोर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां प्रतापगढ जिला प्रतागपढ

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	50000 रूपये	आरोपी भागीरथ राम गोदारा कनिष्ठ सहायक, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां प्रतापगढ जिला प्रतागपढ द्वारा परिवादी गिरिजा शंकर शर्मा की ब्रह्म सभा की समुह का पुनः रजिस्ट्रेशन करने की एवज् में दिनांक 17.04.2017 को दौराने मांग सत्यापन वार्ता में रिश्वत राशि 50000 रूपये की मांग की जिस पर दिनांक 18.04.2023 ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। जिस पर आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा अपनी मांग अनुसार 50000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करने के दौरान एसीबी टीम के सदस्यों को आते हुई देख परिवादी के हाथों से आरोपी ने झटका मारकर रिश्वत राशि 50000 रूपये निचे जमीन पर गिरा दिये। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाहान श्री सुनिल कुमार द्वारा उठवा कर वजह सुबत जप्त की गई। दौराने कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बरामद करने के उपरान्त आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां प्रतापगढ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 50000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कार्यवाही पुलिस,

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ

हालात इस प्रकार निवेदन है कि **दिंनाक 13.04.2023 को समय 05.00 पीएम पर** प्रतापगढ से मुखबिर खास ने जरिये दुरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दुरभाष बताया की श्री गिरजा शंकर शर्मा निवासी प्रतापगढ से सहकारिता विभाग प्रतापगढ के कर्मचारी उसके जायज कार्य के एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। श्री गिरजा शंकर शर्मा के मोबाईल नम्बर 9460057612, 9461414702 है आप गिरजा शंकर शर्मा से सम्पर्क कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे। तत्पश्चात **समय 03. 00पीएम पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिहं सांदू भ्रनिब्यूरो चित्तौडगढ ने अपने मोबाईल नम्बर 9928005800 से परिवादी श्री गिरजा शंकर शर्मा के मोबाइल नम्बर पर कॉल किया जिस पर श्री गिरजा शंकर शर्मा ने बताया कि मैंने रजिस्टार पंजीयन कार्यालय सहकारिता विभाग प्रतापगढ में एक फाईल संशोधन कर ब्रह्म सभा संस्थान के नाम से पूर्व में पंजीकृत थी, उसे 2020 में तथा 2022 में संशोधन कर जिन सदस्यों की मृत्यू हो गई है उनके स्थान पर समाज के अन्य सदस्यों की जमा करा रखी है जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया था । मैने नवीन कार्यकारिणी की सूची की प्रतिलिपि मांगने पर श्री भागीरथ गोदारा बाबू ने खर्चा पानी के लिये श्री जय सिहं देवल साहब को देने हेतु कहने तथा एक लाख रूपया लगेगा मांग रहे है। साहब तभी पुराने तारिख में हस्ताक्षर करेगें । बाबूजी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। परिवादी से हुई उक्त वार्ता अनुसार मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया जाने से परिवादी को हिदायत मूनासिब कर ट्रेप कार्यवाही के बारे में समझाया जाकर मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु हिदायत दी गई व उसे बताया कि तीन दिन की छुटटीया(14,15,एंव 16 अप्रेल क्रमशः गुड फ्राईडे शनिवार एंव रवीवार) आ जाने से दिंनाक 17.04.2023 को आपसे ब्यूरों प्रतापगढ का जवान श्री दिनेश सम्पर्क करेगा जिसे आप रिपोर्ट पेश करे एंव श्री दिंनेश के हमरा जाकर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवायें। तत्पश्चात **दिंनाक 17.04.2023 समय 01.09 पीएम पर** श्री दिनेश कुडी कानि0 न 553 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन अवगत कराया कि मैने आपके निर्देशानुसार आज परिवादी श्री गिरजा शंकर शर्मा के मोबाईल नम्बर पर समय 10.04 एएम पर सम्पर्क किया तो परिवादी श्री गिरजा शंकर शर्मा ने मुझे खण्डेंलवाल मशीनरी कृषि मण्डी रोड अर्चना टाकिज के सामने प्रतापगढ दुकान पर बुलाया। यह दुकान उनके परिचित की है जो आरोपी को भी जानता है। जिस पर मेने मालखाना से टेप रिकार्डर प्राप्त कर उसे चार्ज किया जाकर समय करिब 11.00 एएम पर परिवादी कि बताई गई दुकान पर पंहुचा जंहा श्री गिरजा शंकर शर्मा उपस्थित मिला परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की और परिवादी द्वारा आरोपी से सम्पर्क किया तो आरोपी श्री भागीरथ गोदारा ने परिवादी की बताई दुकान पर आना बताया जिस पर मेने परिवादी को समय 11.11 एएम पर टेप रिकार्डर चालु व बन्द करने की समाजाईश कर आवश्यक हिदायत देते हुये सुपूर्द की व मेरी स्वय की उपस्थिती छुपाई एंव मैने परिवादी और फोन पर बुलाये गये व्यक्ति(जो भागीरथ है) पर नजर बनाई रखी । समय करिब 12.16 पीएम पर परिवादी श्री गिरजा शंकर शर्मा ने मुझ कानि0 को टेंप रिकार्डर सुपूर्द कर बताया कि मेरी भागीरथ गोदारा जिससे मेरी वार्ता हुई है, "श्री भागीरथ गोदारा अपने साहब के नाम से सोसायटी का पूरानी तारीख में रजिस्ट्रेशन कराने की एवज में मेरे से 50000/– रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है व कहा है कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन के कागज में आज शाम या कल सुबह मुझे देने हेतु कहा है।" इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 दिनेश कुडी को टेप रिकार्डर मय परिवादी की रिपोर्ट के ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ पर पहुंचने के निर्देश दिये एंव परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहन की आवश्यकता होने से गवाहान की तलबी की जायेगी । तत्पश्चात **दिंनाक 17.04.2023 समय 05.50 पीएम पर** श्री दिनेश कानि0 नम्बर 553 प्रतापगढ से ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित हुआ जिसने डिजीटल वाईस टेप रिकार्डर व परिवादी श्री गिरजा शंकर शर्मा द्वारा पेश रिपोर्ट पेश की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पूर्व में परिवादी द्वारा दुरभाष पर हुई वार्ता अनुसार अंकित तथ्यो की ताईद होना पाई गई । परिवादी के रिपोर्ट में अंकित तथ्य इस प्रकार है कि मैने पूर्व में रजिस्टार पंजीयन कार्यालय सहकारिता विभाग प्रतापगढ

में एक फाईल संशोधन कर (बह्मं सभा संस्थान) के नाम जो पूर्व में पंजीकृत थी उसे 2020 में तथा 2022 में संशोधन कर जिन सदस्यो की मृत्यु हो गई है। उनके स्थान पर समाज के अन्य नवीन सदस्यो की जमा करा रखी है । जिसका Reg no 081/2001-2002 में किया गया था । मैने नवीन कार्यकारिणी की सूची की प्रतिलिपि मांगने पर श्री भागीरथ गोदारा बाबू ने खरचा पानी के लिये साहब को देने हेतु कहने कि एक लाख रूपया लगेगा मांग रहे है साहब तभी पुराने हस्ताक्षर करेगें । बाबूजी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं । बाबूजी भागीरथ जी गोदारा से मेरी कोई आपसी रंजीश व दुश्मनी नही है नहीं मेरे कोई उधार रूपया लेने देने की बात है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी कानूनी कर्यावाही कराना फरवावे। एफआईआर का अवलोकन किया गया । इसके बाद डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर को चालू कर सूना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टी हुई। परिवादी की रिपोर्ट एंव डिजीटल वाईस टेप रिकार्डर को कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गिरजा शंकर शर्मा से जरिये दुरभाष वार्ता की तो परिवादी द्वारा डिजीटल वाईस टेप रिकार्डर में रिश्वत राशि मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता के तथ्यो की ताईद होना पाया गया । परिवादी को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही बाबत आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत में दिये जाने वाले रूपयो की व्यवस्था कर कल दिंनाक 18.04.2023 को समय करीब 10.00 एएम पर ब्यूरों कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।

दिंनाक 18.04.2023 को समय 07.00 एएम पर ब्यूरों कार्यालय का स्टाप सर्वश्री दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक , श्री दलपत सिहं हैड कानि0 नं 57, श्री श्याम लाल हैड कानि0 न 105, श्री जितेन्द्र सिहं कानि0, न. 514, श्री मानसिहं कानि0 नं. 571, श्री दिनेश कानि0 553 एंव महिला कानि0 श्रीमती आशा कुमारी नम्बर 105 एंव श्री शैर सिहं कानि चालक, के साथ मय ट्रेप बॉक्स प्रतापगढ को दोना सरकारी वाहनों से रवाना हुआ रास्ते में पूर्व के पाबन्दशुदा गवाह अनिल कुमार कौठारी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र कोठारी निवासी विपुल नगर निम्बाहैडा हाल व्याख्याता रा0उ0मा0 वि0 निम्बाहैडा एवं सूनिल कुमार डुगंरवाल पुत्र श्री पुखराजमल डुगंरवाल जाति जैन उम्र 57 निवासी मकान नम्बर 16, निवेदिता कॉलोनी निम्बाहैडा मिले जिन्हे हमराह लिया।

समय 10.30 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ते के ब्यूरों कार्यालय प्रतापगढ पहुंचा जंहा पर श्री सूरज मल कानि0 एंव परिवादी एंव अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले । मन अतिरिक्त पुसिल अधीक्षक ने अपना परिचय देकर परिवादी एंव उसके साथ आये हुये व्यक्ति का परिचय पुछा तो परिवादी ने अपना नाम गिरिजा शंकर शर्मा पुत्र श्री गणेश राम जी उम्र 62 वर्ष निवासी एरियापति कॉलोनी हनुमान मंदीर के पास प्रतापगढ होना बताया एंव परिवादी के साथ आये व्यक्ति ने अपना नाम श्री विपिन जोशी पुत्र श्री पुरूषोतम प्रसाद जोशी उम्र 46 वर्ष निवासी एरियापति रोड़ मांहती सदन के सामने प्रतापगढ हाल आईसकीम व्यवसायी मोबाईल नम्बर 9414396669 होना बताया । परिवादी ने बताया कि श्री विपिन जोशी मेरा मित्र है। परिवादी व उसके साथी का परिचय दोनो स्वतन्त्र गवाहन से करवाया गया । परिवादी से आवश्यक पुछताछ करने पर बताया कि मैं सेवानिर्वत व्याख्याता (हिन्दी) से होकर मैं ब्रहम सभा संस्थान प्रतापगढ वर्ष 2001–2002 रजिस्ट्रर्ड हुई थी इसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 81 था तब जिला चित्तौडगढ था इसलिये वहां से ही रजिस्टर्ड थी इसका अध्यक्ष श्री उंकार लाल एंव 11 सदस्य थे इनमें से 9 जनो की मृत्यू हो जाने के कारण इसके स्थान पर अन्य सदस्यों का मनोनयन कर संस्था का कार्यकारणी विस्तार करने हेतु रजिस्ट्रार पंजीयन शाखा सहकारिता विभाग प्रतापगढ में 13.08.2020 को पत्रावली लगाई थी तबी से यह पत्रावली पेंडिग है । पिछले 1 वर्ष से मैं इसमें भागीदारी कर रहा हुं। मैंने कई बार जय देव देवल डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग तथा भागीरथ बाबू से सम्पर्क किया है लेकिन इन्होने कहा कि यह कार्य नहीं हो सकता हैं इस संस्था का पुराना रिकॉर्ड नहीं हैं यह कह कर टालम टोल करते रहे हैं। 15 दिन पूर्व भागिरथ जी ने 2000 हजार रूपये लिये और बोला की फाईल दूबारा तैयार करनी पड़ेगी यह फाईल तैयार करने का खर्चा है। तब भागीरथ जी ने कहा की सहाब आयेगें तब उनसे मिलवा दुगां भागीरथ जी ने मेरे को साहब (जयदेव देवल) से दिंनाक 13.04.2023 को दिन में 1–2 बजे मिलाया था । जयदेव जी ने मेरे को कहा की भागीरथ जी से मिल लेना। मै जयदेव देवल से मिला उन्होने अपने मुंह से रूपये नही मागें । मैं बाहर जाकर भागीरथ जी से मिला तो उन्होने कहा कि शाम को मैं साहब से पूछ कर आपको बता दुगां । इसके बाद शनिवार दिंनाक 15.04.23 को भागीरथ जी महालक्ष्मी कय विकय समिति में मैरे को 04.00 पीएम पर मिले

और बोला कि साहब 1 पेटी से कम नही करेगें। इसी दोरान मेरी ब्यूरों के अधिकरी अर्थात आप से मेरी बात हो गई है । सोमवार 17.04.2023 को खण्डेलवाल मशीनरी नामक दुकान अर्चना टाकिज के सामने प्रतापगढ पर मेरी भागीरथ से मुलाकात हो गई । इस मुलाकात में हुई बात को मेने सरकारी टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया था । भागीरथ जी पच्चास हजार रूपये लेकर काम करने को सहमत हो गये है। हमारे कार्य बिल्कुल वाजिब कानून के अनुसार है। जिसे रिश्वत खाने के लिये ही लम्बे समय से अटकाया जा रहा है । मेरे भागीरथ जी से कोई उधार लेन देन बकाया नही है एंव ना ही कोई आपसी रंजीस है न ही हमारे बिच में कोई आपसी विवाद है।

दोनो स्वतन्त्र गवाहन को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सूनाया गया एंव दिखाया गया तथा डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर को चालू कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया गया तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्ठि की । परिवादी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये लाने हेतु निर्देशित कर रवाना किया । **समय 12.15 पीएम पर** परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा उपस्थित आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50000 रूपये लेकर आ गया हुं जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय में बिठाया गया। **समय 12.20 पीएम पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी भागीरथ गोदारा एवं परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा के मध्य हुई सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.04.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री दिनेश कुमार कानि0 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों ली गई तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक कवर मे रखी गई । दोनों मूल एवं डब सी.डी. को सुरक्षित रखने हेतु श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सम्भलाया गया । **समय 01.20 पीएम पर** उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा **परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा** से श्री भागीरथ गोदारा बाबू कार्यालय सहकारिता विभाग प्रतापगढ जिला प्रतापगढ व अन्य को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर **परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा** ने अपने पास से 2000–2000 के 03 नोट व 500–500 रूपये के 88 नोट कुल 50,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0DD 390500
2	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0HV 833290
3	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6HQ 292245
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9DD 526684
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7HL 037709
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5AN 083839
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7NL 274835
8	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3RT 364886
9	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2DM 587843
10	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8VF 136269
11	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0AR 806305
12	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4AB 991608
13	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3VC 291858
14	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9MT 540828
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9KK 822459
16	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0MA 850247
17	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3AG 657031
18	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9TC 812840
19	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1DW 853124
20	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7TB 353371

21	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4QE 527626
22	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2GE 094110
23	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3ES 278585
24	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0HM 213637
25	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7AG 012780
26	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9SR 302463
27	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8HH 479260
28	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7PS 850391
29	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9EG 085038
30	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5LP 213765
31	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8NA 418585
32	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5PH 456559
33	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1SU 188725
34	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8CV 417649
35	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8GL 884605
36	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6NR 637238
37	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4AM 871713
38	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2AS 463083
39	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2BR 045604
40	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1FR 047109
41	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6RL 514637
42	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4ET 840514
43	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8AQ 282794
44	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2FV 537366
45	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3PL 773045
46	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7KF 036010
47	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3FF 461453
48	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5CT 951158
49	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4SH 871338
50	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2UF 909592
51	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9AD 527839
52	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5QN 672698
53	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3EM 395841
54	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4GM 573559
55	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6NA 399447
56	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3UD 383009
57	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1VB 684351
58	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2BM 560402
59	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3HK 716267
60	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3CA 792137
61	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1TH 513112
62	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0BV 528919
63	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6GT 625728
64	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7BS 040058
65	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3PF 645606
66	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2UC 008436
67	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6HE 680018
68	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0SE 959196
69	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1CB 052963
70	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3EA 704651
71	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6HG 608714
72	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1FP 077250

73	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4WQ 481764
74	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8MR 153692
75	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3AM 273178
76	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6RP 421179
77	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8EM 653753
78	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2CW 916280
79	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9MR 883248
80	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4GK 637530
81	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0DD 656983
82	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9NB 017245
83	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5SP 605358
84	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3SV 239895
85	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6LV 044599
86	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1MG 220394
87	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0PP 730861
88	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9SW 791530
89	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4MH 849996
90	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1EM 722664
91	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2AH 454318

परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर **श्री सुरजमल कानि 247** से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी प्रतापगढ एसीबी मालखाने से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर उसी से लगवाया जाकर नोटों को **परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा** की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। **श्री श्याम लाल हैड कानि0** से साफ कॉच का एक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में **श्री सुरज कुमार कानि0** की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को **श्री सुरज कुमार कानि0** से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः मालखाने में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। इसके उपरान्त उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद गोपनीय निर्धारित ईशारा (सिर पर हाथ फेरकर) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया । श्री श्याम लाल हैड कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्री सुरज

कुमार कानि0 के दोनो हाथों को साफ–पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान एसीबी कार्यालय प्रतापगढ में ही रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई । तत्पश्चात **समय 02.04 पीएम पर** स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष परिवादी के फोन से आरोपी के फोन पर वार्ता करवाकर यह जानने का यत्न किया कि आरोपी उस समय कहां है। आरोपी ने बताया बाजार मैं हुं हमारी हडताल चल रही है जिस पर परिवादी ने कहा कि 15 मीनट बाद खण्डेलवाल स्टोर पर आ जाओ, और अपनी अमानत ले जाओ। आरोपी ने कहा मैं पहुंच रहा हुं । इस वार्ता को फोन के स्पीकर मॉड पर होने के कारण समस्त हाजरीन ने सूना । **समय 02.10 पी.एम.** पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिहं सांदू द्वारा परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा , श्री श्याम लाल हैड कानि0,श्री दिनेश कानि0 को प्राईवेट मोटर साईकिल से एंव श्री मानसिहं कानि0 , श्री जितेन्द्र कानि0 एंव श्री विपिन जोशी परिवादी के साथी को जरिये परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया पिछे पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक , गवाह श्री सुनिल कुमार एंव श्री अनिल कुमार स्वतन्त्र गवाह मय श्री शैर सिहं कानि चालक मय सरकारी वाहन बोलेरो के मय ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री के परिवादी के ट्रेप कार्यवाही हेतु अर्चना टाकिज के सामाने कृषि मण्डी रोड प्रतापगढ की तरफ रवाना हुयें। परिवादी को हिदायत कि आरोपी को रूपये हाथ में ही देने है। **समय 02.20 पी.एम. पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिहं सांदू मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा अर्चना टाकिज के सामाने कृषि मण्डी रोड प्रतापगढ से कुछ पहले पंहुच वाहनो को साईड में खडा करवाकर परिवादी श्री गिरिजा शंकर को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु पैदल पैदल रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता एंव दोनो स्वतन्त्र गवाहन के आस पास अपनी अपनी उपस्थिती छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारें के इन्तजार करने लगे। **समय 02.30 पी.एम.** पर परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा ने कृषि मण्डी रोड प्रतापगढ पर खडे होकर निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिसे श्री दिनेश कुमार कानि0 ने देखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों के तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा के पास पहुंचे जहां पर परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा के पास खडे हुये एक व्यक्ति ने ट्रेप पार्टी को आते हुये देख कर परिवादी के हाथ में पकडी हुई रिश्वत राशि को झटक कर निचे गिरा दिया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे फसाया जा रहा है। भागने का प्रयास करने लगा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उस व्यक्ति और उसके हाथो पकडने का निर्देश टीम को दिया जिस पर परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर बन्द कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश करते हुये बताया कि यही भागीरथ बाबुजी है जिन्होने आप लोगो को आता देख कर मेरे हाथ में पकडी हुई रिश्वत राशि को मेरी हथेली पर झटका देकर गिरवा दिया। तथा बोला कि यह रूपये दुकानवाले खण्डेलवाल को दे दो। मैने कहा आपने मांगे है तो आपको ही दुंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम भागीरथ राम पुत्र श्री धन्ना राम उम्र 47 वर्ष निवासी धनकोली पुलिस थाना मोलासर तहसिल डिडवाना जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया प्रतापगढ हाल निवास मकान नम्बर 3/121 हाउसीगं बोर्ड पानी की टंकी के पास प्रतापगढ होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री भागीरथ राम को पुछा कि आप के द्वारा परिवादी श्री गिरिजा शंकर से पूर्व में की गई 50000 रूपये रिश्वत की मांग अनुसार आपको रिश्वत राशि देने लगा जिस पर आपने ट्रेप पार्टी सदस्यों को आता देख कर उसकी हथेली में झटका मार कर जमीन पर क्यूं गिरा दिया ? इस पर श्री भागीरथ राम जोर जोर से बोलने लगा कि मैने कोई रिश्वत राशि नही मांगी है इनकी फाईल मेरे पास आते ही 13.04.2023 को ही मैनें कमेंट कर दिया था । जिस पर तस्सली देकर रिश्वत राशि की मांग करने एंव रिश्वत राशि 50000 रूपये ग्रहण करने हेतु परिवादी के बुलाये अनुसार कृषी मण्डी रोड अर्चना टाकिज के सामने अपना कार्यालय का कार्य छोडकर उपस्थित होने हेतु पहुचां तो कहा की मैने कोई रिश्वत नही मांगी है जिस पर आरोपी को दिंनाक 17.04.2023 उसके एंव परिवादी के मध्य हुई वार्ता सुनाई गई तब बोला की मैने कोई रूपये नही मांगे है पहले भी मैं ट्रेप हो चुका हुं तब भी मुझे फसाया गया था और अब भी मुझे फसाया जा रहा है। तत्पश्चात आरोपी को पूरा

आश्वासन दिया गया कि हम नियमानुसार ही कार्यवाही करेगें अगर तुम्हारी आवाज नही है तो एफएसएल से जांच करवा देगें । किंतु यह बताओ कि कल तूम इस खण्डेलवाल कि दुकान पर क्यूं आयें?तूमने यंहा आकर रूपये मांगे थे । और आज यंहा अब क्यूं आये हो? तूम परिवादी के कहने पर रूपये लेने ही आये हो। इस पर आरोपी चुप हो गया है । आरोपी ने बताया कि वह तो पहले से हि बरबाद है । उसके पिताजी का देहान्त केंसर से हुआ और मुझे भी केंसर की बिमारी है । आरोपी के साथ तमाम परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये पूर्ण हमदर्दी का व्यवहार करते हुये आश्वासन दिया गया कि कोई भी आदमी तब तक अपराधी नही है जब तक अदालत उसे अपराधी नही घोषित कर दे। इसके बाद आरोपी श्री भागीरथ राम को पुछा कि आपने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दोरान 50000 रूपये रिश्वत राशि आपके अधिकारी को देने हेतु मांग की थी इसलिये उक्त रिश्वत राशि में आपके अधिकारी का कितना हिस्सा है ? इस पर श्री भागीरथ राम ने बताया कि रिश्वत राशि 50000 रूपये से मेरा कोई सम्बध नही है। इस पर आरोपी श्री भागीरथ राम के दाहिने हाथ को श्री दिनेश कानि0 व बायें हाथ को मानसिहं कानि0 से कलाई से उपर पोचो से पकडवाया गया । इसके बाद जमीन पर पडी हुई रिश्वत राशि को गवाह श्री सूनिल कुमार से उठवाये जाकर दोनो गवाहन से गिन कर एंव पूर्व में तैयार की गई फर्द सूपुर्दगी नोट से मिलान करने की कहने पर दोनो गवाहन ने नोटो को गिनकर 500–500 के 88 नोट व 2000–2000 के 03 नोट कुल 50000 रूपये होना बताया तथा उक्त बरामद शुदा नोटों के नम्बरों को मिलान पूर्व मे मुर्तीब की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो उक्त नोटो के नम्बर हूबहू होना पाया गया जो निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0DD 390500
2	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0HV 833290
3	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6HQ 292245
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9DD 526684
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7HL 037709
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5AN 083839
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7NL 274835
8	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3RT 364886
9	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2DM 587843
10	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8VF 136269
11	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0AR 806305
12	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4AB 991608
13	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3VC 291858
14	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9MT 540828
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9KK 822459
16	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0MA 850247
17	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3AG 657031
18	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9TC 812840
19	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1DW 853124
20	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7TB 353371
21	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4QE 527626
22	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2GE 094110
23	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3ES 278585
24	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0HM 213637
25	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7AG 012780
26	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9SR 302463
27	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8HH 479260
28	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7PS 850391
29	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9EG 085038
30	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5LP 213765
31	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8NA 418585
32	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5PH 456559
33	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1SU 188725

34	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8CV 417649
35	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8GL 884605
36	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6NR 637238
37	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4AM 871713
38	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2AS 463083
39	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2BR 045604
40	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1FR 047109
41	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6RL 514637
42	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4ET 840514
43	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8AQ 282794
44	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2FV 537366
45	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3PL 773045
46	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7KF 036010
47	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3FF 461453
48	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5CT 951158
49	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4SH 871338
50	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2UF 909592
51	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9AD 527839
52	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5QN 672698
53	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3EM 395841
54	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4GM 573559
55	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6NA 399447
56	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3UD 383009
57	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1VB 684351
58	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2BM 560402
59	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3HK 716267
60	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3CA 792137
61	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1TH 513112
62	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0BV 528919
63	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6GT 625728
64	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7BS 040058
65	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3PF 645606
66	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2UC 008436
67	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6HE 680018
68	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0SE 959196
69	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1CB 052963
70	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3EA 704651
71	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6HG 608714
72	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1FP 077250
73	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4WQ 481764
74	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8MR 153692
75	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3AM 273178
76	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6RP 421179
77	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8EM 653753
78	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2CW 916280
79	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9MR 883248
80	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4GK 637530
81	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0DD 656983
82	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9NB 017245
83	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5SP 605358
84	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3SV 239895
85	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6LV 044599
86	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1MG 220394

87	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0PP 730861
88	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9SW 791530
89	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4MH 849996
90	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1EM 722664
91	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2AH 454318

चूंकि मौके पर भीड हो जाने एंव अग्रीम कार्यवाही में व्यवधान उत्पन होने की आंशका होने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी श्री भागीरथ राम को उपरोक्त स्थिती के अनुसार सरकारी बोलेरो में बिठवाया जाकर मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन मय जाप्ते मय जब्त रिश्वत राशि के सरकारी वाहन व मोटरसाईकिलो से मौके से एसीबी कार्यालय प्रतापगढ पर अग्रीम कार्यवाही हेतु रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय प्रतापगढ पंहुचा । इसके उपरान्त आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिस पर दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये । इसी प्रकार आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग मटमेला हो गया जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया । उक्त धोवन को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये । इसके उपरान्त रिश्वत राशि 50000 रूपये जो गवाह श्री सुनिल कुमार से मौके से उठवाई जाकर दोनो गवाहन से मिलान करने के उपरान्त गवाह श्री सुनिल कुमार के पास रखवाई गई थी जिसे प्राप्त कर एक सफेद कागज मे सिल कर आरोपी, दोनो गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये।

इसके उपरान्त आरोपी श्री भागीरथ राम से परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा से सम्बधित ब्रह्म सभा संस्थान प्रतापगढ के कार्य की पत्रावली के बारे में पुछने पर बताया कि उक्त पत्रावली मेरे कार्यलय में मेरी आलमारी में पडी है जिसकी चाबी मेरे पास है । आप मेरे कार्यलय के श्री जयपाल सिहं मीणा निरीक्षक सहकारी समिति प्रतापगढ को यहां बुलाले जिनको मैं चाबी दे दुगां जो मेरी आलमारी से श्री गिरिजा शंकर के ब्रह्म सभा संस्थान की पत्रावली निकाल कर आपको पेश कर देगें । इस पर श्री भागीरथ राम के कार्यलय के श्री जयपाल सिहं मीणा निरीक्षक सहकारी समिति प्रतापगढ को जरिये दुरभाष बुलाया गया जो कुछ देर बाद ब्यूरों कार्यलय प्रतापगढ पर उपस्थित आये। श्री जयपाल सिहं मीणा निरीक्षक सहकारी समिति प्रतापगढ को आरोपी श्री भागीरथ राम ने अपनी आलमारी की चाबी निकाल कर दी तथा कहा कि मेरी आलमारी में से श्री गिरिजा शंकर शर्मा से सम्बधित ब्रह्म सभा संस्थान प्रतापगढ की पत्रावली पढी है जिसे आप लेकर आ जाओ । पुलिस निरीक्षक श्री दया लाल चौहान ने जयपाल सिहं मीणा कि उपस्थिती में आरोपी के ऑफिस से उक्त पत्रावली जब्त की । इसके कुछ समय बाद वह मय श्री जयपाल सिहं मीणा निरीक्षक सहकारी समिति प्रतापगढ श्री गिरिजा शंकर शर्मा से सम्बधित ब्रह्म सभा संस्थान प्रतापगढ की पत्रावली लेकर उपस्थित आये । उक्त पत्रावली का दोनो गवाहन के समक्ष अवलोकन किया गया पत्रावली श्री गिरिजा शंकर शर्मा से सम्बधित ब्रह्म सभा संस्थान प्रतापगढ से सम्बधित है पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेज संख्या 01 से 44 तक प्राप्त कर शामील पत्रावली की गई । मूल पत्रावली पुनः श्री जयपाल सिहं मीणा निरीक्षक सहकारी समिति प्रतापगढ को सुपूर्द की गई। इसके उपरान्त कार्यालय का डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालुकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बन्धित वार्ता को श्री गिरिजा शंकर शर्मा को सुनाया गया तो श्री गिरिजा शंकर शर्मा एंव दोनो स्वतन्त्र गवाहन ने

उक्त दर्ज वार्ता में एक आवाज आरोपी श्री भागीरथ राम की एंव दुसरी आवाज श्री गिरिजा शंकर शर्मा की आवाज होने की ताईद की । मैने भी ऐसा हि पाया। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि लेन देन के पूर्व निर्धारित स्थान खण्डेलवाल मशीनरी पहुंचने पर अशोक खण्डेलवाल ने मेरे को कहा की यंहा कोई पंचायती मत करों और उसने भागीरथ को कोई ईशारा भी किया तभी मैं भागीरथ को खण्डेलवाल मशीनरी के साईड वाली गली में ले गया था । इसके उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त कार्यालय की सील का नमूना फर्द पर अंकित कर उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब की जाकर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे । तत्पश्चात **समय : 05.30 पी. एम. पर** अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा पुत्र श्री धन्ना राम गोदारा निवासी धनकोली पुलिस थाना मोलासर तहसिल डिडवाना जिला नागोर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति या प्रतापगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 14 पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधन 2018) 186 भादस में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया गया । आरोपी ने दिंनाक 17.04.23 को 11.00 एएम पर खण्डेलवाल स्टोर प्रतापगढ पर परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कि । जो उनके पदीय कृत्य से परे जाकर असम्यक् लाभ प्राप्त करने की श्रेणी में आता है रिश्वत राशि लिये जाते वक्त मौके पर हल्ला कर पब्लिक इक्कठ्ठा करने का प्रयास करना एसीबी टीम पर मिथ्या कार्यवाही का आरोप लगाना पुलिस के राजकाज में बाधा पंहुचाना है जो धारा 186 में अपराध है आरोपी पूर्व में वर्ष 2002 में नागौर एसीबी द्वारा ट्रेप होकर वर्ष 2007 में एसीबी कोर्ट जोधपुर से सजायाप्ता है। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट से बरी होने तक वह विभिन्न प्रकार से एसीबी की कार्यवाही तथा उसकी कमीयों से भली भांती अवगत हो गया एंव ट्रेप केस के परिणामों से अवगत होने के कारण मौके पर हंगामा करने लगा, रिश्वत राशि लेन देन के वक्त आरोपी परिवादी को यह राशि दुकान वाले (खण्डेलवाल) को देने कि कहता है। जोकि धारा 6 साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टा के रूप में सूसंगत साक्ष्य है । अतः आरोपी आद्तन अपराधी होने के कारण धारा 14 पीसी एक्ट का भी अपराधी है। अतः आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा को उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अगर आरोपी को गिरफ्तार नही किया जावे तो वह निश्चित रूप से गवाहन को प्रभावित कर सबुत नष्ट कर देगा। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके पुत्र श्री जितेन्द्र गोदारा को उसके प्रतापगढ स्थित घर पर श्री दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक एसीबी द्वारा कि गई दी गई ।आरोपी के गांव धनकोली में परिजनो को सूचित करने हेतु नागौर चोकि को बताया गया। आरोपी को उसके संवेधानिक अधिकारों से अवगत कराया जाकर पंसद का वकील करने कि हिदायत दी गई। तत्पश्चात **समय : 06.10 पी.एम. पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिहं सादूं दोनो स्वतन्त्र गवाहान व आरोपी श्री भागीरथ राम को हमरा लेकर मय सरकारी वाहन बोलेरो के घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु रवाना हुआ एंव आरोपी श्री भागीरथ राम के रिहायशी आवास की खाना तलाशी हेतु हेतु श्री दया लाल चौहान को रवाना किया गया। जब्त शुदा आर्टीकल्स व दस्तावेजात को श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सम्भालाया जाकर एसीबी कार्यालय प्रतापगढ पर छोडा गया। तत्पश्चात **समय : 06.30 पी. एम.** पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिहं सादूं मय हमराहियान के घटना स्थल पर पहुंचा तथा परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा की निशादेही से घटनास्थल के नक्शा मौका की फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं गवाहन को अग्रिम कार्यवाही में पुलिस निरीक्षक दयालाल चौहान की मदद हेतु खाना तलाशी हेतु निर्धारित स्थान के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात **समय : 07.15 पी.एम. पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी श्री भागीरथ राम मय हमराहियान जाप्ते के एसीबी कार्यालय प्रतापगढ पहुंचा। **समय 07.20 पी.एम.** पर श्री दया लाल चौहान आरोपी के घर का निरीक्षण कर मय दोनो स्वतंत्र गवाह के कार्यालय में हाजिर हुआ। अरोपी के घर कि खाना तलाशी रिपोर्ट पेश की। **समय 07.30 पीएम पर** दिनांक 18. 04.2023 को परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा एवं आरोपी भागीरथ राम के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान, परिवादी के समक्ष श्री दिनेश कानि0 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी.

को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक कवर मे रखी गई । दोनों मूल एवं डब सी.डी. को श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सम्भलाया गया। धारा 65 बीं का प्रमाण पत्र तैयार कर शामील पत्रावली किया गया । इसके उपरान्त श्री गिरिजा शंकर शर्मा एवं परिवादी के साथी विपिन जोशी को रूखसत किया गया तत्पश्चात **समय 08.00 पीएम पर** आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 17.04.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 18.04.2023 को हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर में रिकार्ड शुदा वार्ता को सरकारी पेन ड्राईव सेन डिस्क कम्पनी का 16 जीबी होकर उक्त वार्ता को पेन ड्राईव में लिया जाकर उक्त पेन ड्राईव सफेद कपडे की थेली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात **समय 08.10 पीएम पर** आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा को आवाज का नमुना देने बाबत नोटिस इस आशय का दिया गया कि आप एवं परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा के मध्य दिनांक 17.04.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 18.04.2023 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ताओं को रिकॉर्ड किया गया है। आपकी आवाज का साक्ष्य संकलन कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाना है। अतः आप अपनी नमूना आवाज गवाहान रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 23.03.2023 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ताओं को रिकॉर्ड किया गया है । आपकी आवाज का साक्ष्य संकलन कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाना है । अतः आप अपनी नमूना आवाज गवाहान के समक्ष रिकार्ड करावें। तत्पश्चात **समय 08.30 पीएम पर** आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा को अपनी आवाज का नमुना देने के संबंध में दिये गये इस कार्यालय के पत्र के प्रत्युत्तर के क्रम मे आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा ने स्वयं की हस्तलिपि में अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये कि "एक प्रति प्राप्त की, मै अपनी स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमुना नहीं देना चाहता हुं" मूल पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात **दिनांक : 19.04.2023 को समय : 12:30 ए.एम** पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं जब्तशुदा आर्टीकल धोवन की शिशिया, जब्त शुदा रिश्वत राशि, जब्त शुदा दस्तावेज, ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप प्रिटर एंव कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली को हमराह लेकर कार्यालय चित्तौडगढ के लिये जरिये सरकारी वाहनो से रवाना हुये एंव दोनो स्वतन्त्र गवाहान को निम्बाहेड़ा में छोड़ा गया। तत्पश्चात **समय 02:45..ए.एम पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर पहूंचा तदोपरान्त आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवा पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात मे दाखिल करवाने हेतु जरिये अलग–अलग तहरीर दी जाकर रवाना किया गया एवं निर्देश दिये गये की थाना कोतवाली के संतरी के अतिरिक्त ब्यूरों कार्यालय का जवान सुनील कुमार भी कोतवाली में रहकर अभियुक्त पर नजर रखे, क्योंकि दौराने कार्यवाही अभियुक्त ने अवसाद में आकर बोला है, कि बिमारी और एसीबी ट्रेप के कारण मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। तत्पश्चात **समय 9:35 एएम** पर निर्देशानुसार कानि0 सुनिल कुमार आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया प्रतापगढ को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ। श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे कानि0 सुनिल कुमार की निगरानी में बैठाया गया। उप रजिस्ट्रार कार्यालय प्रतापगढ से प्राप्त दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात **समय 02:15 पीएम. पर** श्री दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौड़गढ को निर्देश दिया मय ब्यूरों कार्यालय के जाप्ते के जरिये सरकारी वाहन आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा पुत्र श्री धन्ना राम गोदारा निवासी धनकोली पुलिस थाना मोलासर तहसिल डिडवाना जिला नागोर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया प्रतापगढ को श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 01 उदयपुर के समक्ष पेश करने हेतु उक्त कार्यवाही की मुल पत्रावली एवं आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा कनिष्ठ लिपिक को सुपुर्द किया गया एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से यह पाया गया कि आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया प्रतापगढ द्वारा परिवादी गिरिजा शंकर शर्मा पुत्र श्री गणेश राम जी उम्र 62 वर्ष

निवासी एरियापति कॉलोनी हनुमान मंदीर के पास प्रतापगढ से उनकी संस्था ब्रह्म सभा संस्थान समिति के प्रबधं कार्यकारणी का पूनः गठन कर नवीन समिति की सर्टीफाईट कॉपी दिलाने की एवज में 50000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। दोराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन देन के वक्त आरोपी को कुछ संदेह हो जाने एवं अशोक खण्डेलवाल की दूकान जहां रिश्वत मांग वार्ता टेप की गई थी, एवं दिनांक 18.04.2023 को जहां रिश्वत राशि का लेन देन होना था को कुछ संदेह होने पर अशोक खण्डेलवाल ने परिवादी को बोला कि मेरी यहां कोई पंचायती मत करना एवं उसने आरोपी को भी ईशारा किया। जिस पर आरोपी सचेत हो गया। वह परिवादी के साथ अशोक खण्डेलवाल की दूकान के पास स्थित गली में गया, जहां परिवादी ने उसे रिश्वत राशि दी, तो बोला की ये दूकान वाले को ही दे दो किन्तु परिवादी आरोपी स्वयं को ही देना चाहता था, परिवादी और आरोपी के मध्य ये सब चल रहा था, तभी परिवादी द्वारा ईशारा करने के कारण ब्यूरो टिम आगे बढी, ट्रेप पार्टी को आता देख कर रिश्वत राशि 50000रूपये परिवादी के हाथ से झटक कर जमीन पर गिरा देना जंहा से रिश्वत राशि बरामद होने से आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ठ सहायक को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा परिवादी श्री गिरिजा शंकर शर्मा की संस्था ब्रह्म सभा संस्थान समिति प्रतापगढ से सम्बधित पत्रावली आरोपी श्री भागीरथ राम कनिष्ट सहायक की आलमारी से प्राप्त की जाकर उसकी प्रमाणित फॉटो कोपी वजह सबूत शामिल पत्रावली की गई। आरोपी ने पूर्व में वर्ष 2002 में नागोर में एसीबी में ट्रेप होते वक्त भी रिश्वत राशि दुकानदार को दिलाई थी। और यहां भी पहले तो स्वयं रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थान खण्डेलवान की दूकान पंहुच गया, बाद में संदेह होने पर यह राशि दूकानदार को दिला कर स्वयं भागना चाहता था। यही उसकी मोडश ओपरन्डाई है। तथा यह attampt to obtain है। आरोपी को मौके पर ब्यूरो टीम ने भागने नही दिया और पकड़ लिया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक फो 15(38)सविरा/नियम/कम्प्युटराईजेशन/2016 दिनांक 10.07.2017 द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि राजस्थान सस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजियन होने वाली संस्थाओं का पजियन संबंधि समस्त कार्यवाही ऑनलाईन ही सम्पादित की जायेगी। इसमें यह भी निर्देश दिया गया कि पंजियंन हेतु आवेदको से व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्राप्त नहीं कर केवल ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर ही पंजियन संबंधि कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। विभाग के सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा जारी इस आदेश की अवहेलना कर कनिष्ठ लिपिक भागीरथ ने पूर्व की तिथियों में ऑफलाईन कार्य करने हेतु समस्त रेकार्ड प्राप्त किया और इस हेतु 50000 रूपये की रिश्वत लेकर विभाग का नाम भी खराब किया। विभाग के दिनांक 19.03.22019 को जारी परिपत्र की भी श्री भागीरथ ने पूर्णतया अवहेलना की। जो कि डॉ निरज कुमार पवन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त भी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक फा 15(38)सविरा/नियम/कम्प्युटराईजेशन/2016 दिनांक 02.12.2020 द्वारा भी यह आदेश जारी किया गया है कि विभाग में कम्प्युटराईजेशन का कार्य चल रहा है। अतः दिनांक 01 जनवरी 2021 से राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अन्तर्गत संशोधन प्रकिया को ऑनलाईन किये जाने के आदेश किये जाते है तथा 01 जनवरी 2021 के पश्चात राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अन्तर्गत संशोधन ऑफलाईन नही किये जावें। विभाग के सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा जारी इस आदेश की की भी आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा कनिष्ठ सहायक द्वारा पूर्णतया अवहेलना की जा रही थी। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने निजी लाभ की पुर्ति हेतु राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर भ्रष्टाचार किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा पुत्र श्री धन्ना राम गोदारा निवासी धनकोली पुलिस थाना मोलासर तहसील डिडवाना जिला नागोर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया प्रतापगढ द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 14 पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 एवं धारा 186 भा.द.स. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सादू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौड़गढ़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सान्दू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 186 भादंसं में आरोपी श्री भागीरथ राम गोदारा, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां प्रतापगढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 88/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 701-04 दिनांक 20.4.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, प्रतापगढ़।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

20.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।